संख्या सा–3/50–86/दस–912/85

प्रषक,

हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 3 जनवरी, 1986।

विषय:––पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3/1446(1)/दस-912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त शासनादेश के पैरा 1(9) में यह प्राविधान किया गया था कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवा कर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से प्रेषित करेंगे। इस बिन्दु के संबंध में महालेखाकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राविधान में अपने परिपत्र संख्या टी0 एम/पेंशन/469, दिनांक 25–11–85 के पैरा 2 द्वारा किंचित संशोधन कर अब यह प्रक्रिया प्रदेश के कोषाधिकारियों को संसूचित की गयी है कि प्रश्नगत विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधिकृत मुख्य लेखा अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर स्वयं सत्यापित कर तथा अपनी सील के साथ निदेशक कोषागार एवं लेखा के माध्यम से कोषाधिकारियों को भेजेंगे।

2––महालेखाकार द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया है और परीक्षण उपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि शासनादेश संख्या सा–3/1446(1), दस–912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 के पैरा 1(9) में उल्लिखित प्रक्रिया को महालेखाकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

3––आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–50–86(1)/दस-912/85

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित––

1––सचिव, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग, लखनऊ।
2––महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट) तृतीय एवं चतुर्थ, इलाहाबाद।
3––प्रदेश के समस्त मण्डल आयुक्त।
4––प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
5––प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
6––पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष।
7––निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
8––पेंशन अधिकारी, विधान भवन, लखनऊ।
9––सचिव, कार्मिक विभाग, लखनऊ।
10––सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11––निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।
12––प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिव, राजस्व परिषद्, तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
13––मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई / सार्वजनिक निर्माण विभाग / राजस्व परिषद् एवं पुलिस मुख्यालय।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0––ए0पी0 41 सा0 भाषा––22-1-86––(3341)––1986––5,000 (प्रे0)।